RECENT RESEARCHES in
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Issue : 3 & 4, Vol. : 5,
July-December (2018), Joint Edition, Pages : 17 - 20
ISSN 2348 – 3318

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

दिनेश कुमार

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड

Received : 19/11/2018 *1st BPR* : 28/11/2018 *2nd BPR* : 01/12/2018 *Accepted* : 05/12/2018

ABSTRACT

सन् 1989 में एक और प्रभावी कानून ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम'' पारित किया गया। इस अधिनियम में इस वर्ग के लोगों पर होने वाले प्रतिदिन के अत्याचारों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई हैं जब यह अधिनियम पारित हुआ तो जयसिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, के मामले में इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस चुनौती को नकारते हुए इसे संवैधानिक करार दिया गया। इसी विषय पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक और मामला स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम रामकिशन बालेठिया, का आया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम'' की धारा 3(1) में जिनमें अपराधों का उल्लेख किया गया है उनका निवारण समाज के इस कमजोर एवं दलित वर्ग के लोगों के लिए गरिमा एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करना है।

की–वर्ड : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याचार व निवारण।

प्रस्तावना

सदियों से दासता का जीवन जीने वाला यह वर्ग समाज का एक पृथक वर्ग है। विधियों एवं न्यायिक निर्णयों से समाज के इस वर्ग में आत्मविश्वास बना है। उन्हें गरिमा एवं सम्मान के साथ जीने का अवसर उपलब्ध हुआ है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मानवाधिकारों का संरक्षण बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

अधिनियम की धारा 3 में निम्नांकित कृत्यों को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है –

(1) अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करना।
(2) अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल–मूत्र, कूड़ा, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुँचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना।
(3) अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के शरीर के बलपूर्वक कपड़े उतारना, नंगा करना, शरीर या चेहरे को पोतकर घुमाना।
(4) अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्व की या उसे आवंटित भूमि को संदीप रूप से अधिभोग में लेना, उस पर खेती करना अथवा उसे अन्तरित करना।
(5) अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य की भूमि या परिसर पर सदोष कब्जा करना।
(6) अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य से बेगार लेना अथवा उसे बन्धुआ मजदूरी के लिए विवश करना।
(7) अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने हेतु विवश करना।
(8) अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी विरूद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दाण्डिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करना।
(9) अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित या क्षुब्ध करना।
(10) अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी महिला का अनादर करना या उसकी लज्जा भंग करना।
(11) अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी महिला का लैंगिक शोषण करना।
(12) अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों के उपभोग में आने वाले जल को दूषित या गन्दा करना।
(13) अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या निवास छोड़ने के लिए विवश करना।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 17-20, ISSN 2348 – 3318

(14) अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को विभागों में दिये जाने पदो में समानता का भाव रखना।
(15) संस्था प्रमुख, विभाग प्रमुख, विभाग समन्वयक व प्रशासनिक पदों पर उनकी नियुक्ति अवश्य की जानी चाहिए अन्यथा यह भी एक अपराध माना जायेगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन जुलाई सन् 1978 में किया गया था। जिसके अन्तर्गत चार सदस्यों सहित एक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। इनमें विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी विशेष रूप से की गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का यह उद्देश्य था कि अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों का उत्थान किया जाए। समाज में अन्य लोगों के द्वारा इनके साथ किए जाने वाले व्यवहार को मानीटर करना तथा समाज में इनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अपनी रिपार्ट एकत्रित करना। इसके अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्य सरकारों को भी इस आयोग के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त एक सिविल आदता का निर्माण भी किया गया है। जिसके अन्तर्गत इस आयोग को मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान की गई है।

आयोग की शक्तियां

इस आयोग की शक्तियों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है–
क– इस आयोग में यह शक्ति है कि यह किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी व राजनेता को बुला सकती है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकती है।
ख– इस आयोग के द्वारा किसी सरकार दस्तावेज को प्रस्तुत करने तथा उसकी जांच करने का अधिकार भी प्राप्त है।
ग– शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना भी इस आयोग की शक्ति माना जाती है।
घ– इसके द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा न्यायालय से कोई दस्तावेज अभिलेख करने की शक्ति भी समाहित की गई है।
ड़– किसी भी मामले पर अपना मत प्रदान कर सकती है। जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियमानुसार निर्धारित किया गया हो।
च– आयोग किसी भी प्रलेखों और साक्षियों का परीक्षण के लिए आदेश जारी कर सकती है।

आयोग के कार्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा किए जाने वाले कार्यों–

- आयोग का कार्य सरकार के द्वारा किए जाने वाले अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उत्थान हेतु कार्यों की जांच करना। जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि जिन कार्यक्रमों को इनके लिए संचालित किया जा रहा है। उससे उनको कितना लाभ हुआ है।
- अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए सरकार द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सरकार को सहयोग प्रदान करना। जिससे इन कार्यक्रमों को दृढ़ता प्रदान की जा सके।
- संविधान में वर्णित सन् 1995 में वर्णित कानून के तहत अस्पृश्यता तथा अनुसूचित भेदभाव को कम करने के लिए किये जाने वाले कार्यों में सरकार की मद्द करना। उन कार्यों की समीक्षा करना।
- समाज के लोगों द्वारा स्थापित की जाने वाली उन परिस्थितियों के बारे में पता लगाना। जिनके परिणामस्वरूप समाज में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा हैं उन परिस्थितियों को समाप्त करना तथा सुधारात्मक कार्यों के प्रति ध्यान एकाग्र करना।
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गों के उत्थान हेतु प्रतिवर्ष किए जाने वाले अनेकों कार्यो के लिए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रदान करना।
- अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए इनके विकास सम्बन्धी पक्षों को सुदृढ़ता प्रदान कराना।
- राज्य तथा केन्द्र सरकारों के द्वारा किए जाने वाले अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के उत्थान हेतु कार्यों में उनका साथ देना। जिससे इन कार्यों को अधिकाधिक सुदृढ़ता प्रदान की जा सके।
- देश में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। इस बात पर ध्यान देना। उन सभी परिस्थितियों की जांच करना तथा उनके प्रति सुधारात्मक तरीकों को अपनाना।
- अनुसूचित जाति तथा जनजातियों द्वारा दी जाने वाले शिकायतों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए प्रयास करना। जिससे उनके द्वारा देश की अन्य जातियों के अनुरूप ही अपना उत्थान किया जा सके।
- समाज में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को उच्च स्थान प्रदान करने हेतु प्रेरित करना। जिससे उन्हें विशेष रूप से

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 17-20, ISSN 2348 – 3318

उन्नति की ओर अग्रसित किया जा सके। इसके साथ ही उनके विकास में आने वाली विभिन्न समस्याओं को भलि भांति दूर करने हेतु प्रयास करना।

अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग केन्द्रीय व राज्य के प्राईवेट व सरकारी विभागों, संस्थाओं, कालेजो, विश्वविद्यालयों में आदि में एस0सी0 एस0टी0 सेल बनवायें तथा गोपनीय व पत्रों के माध्यम से अधिकारियों, कर्मचारियों व नागरिकों के व्यवहार से भी वाकिफ होकर उनके सुधार हेतु आवश्यक कदम उठायें। आयोग का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह आरक्षण रिक्तियों की जाँच करके सम्बन्धित व्यक्तियों को तुरन्त भरने के आदेश देकर रिपोर्ट अपने पास मंगायें। व्यवसाय से व्यक्तियों में स्थायित्व आता है, साथ ही वह अनुसूचित वर्ग के शिक्षा हेतु सभी स्तर पर निशुल्क शिक्षा का प्रावधान करने हेतु सरकार पर दबाव डालकर विधेयक पास करायें। तभी आयोग की इस समाज के लिए सच्ची कर्तव्य निष्ठा व वचनवद्धता होगी।

उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2001– (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 11 सन् 2001)

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2001, दिनाँक 28 नवम्बर, 2001 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 11 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचना इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया गया है। (जैसा उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में प्रख्यापित राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम प्रारम्भिक –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचित होने की दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

आयोग के कृत्य और शक्तियाँ

आयोग के कर्तव्य और कृत्य

(1) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे–

(क) संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करना;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना।

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(घ) राज्य सरकार को उन रक्षापायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(ड़) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए संचालित स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राइबल सब–प्लान को कार्यान्वित कराना।

(च) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, निरीक्षण एवं संबंधितों को दिशा–निर्देश देना।

(छ) राज्य के अन्तर्गत सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के आरक्षण को सुनिश्चित करना एवं सम्बन्धितों को निर्देश जारी करना।

(ज) कोई अन्य मामला या मामले जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाये अथवा आयोग के संज्ञान में लाया जाये।

11. **आयोग की शक्तियाँ**–

किसी बात का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियाँ आयोग की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जाँच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में प्राप्त होगी, अर्थात–

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 17-20, ISSN 2348 – 3318

(क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने।
(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने।
(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने।
(घ) किसी कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने।
(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने।
(च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ (Refrence Books) –

- मदुलाल, कुसुम0 (2006) दलित शिक्षा का परिदृश्य. दिल्ली, कल्पज पब्लिकेशन.
- वक्शी, एन0एस0 (2007) मानव अधिकार शिक्षा. दिल्ली, प्रेरणा प्रकाशन.
- शर्मा, रामशरण0 (2009) शूद्रों का प्राचीन इतिहास. इलाहाबाद, राजकमल प्रकाशन, पेज 16.20
- त्रिपाठी,मधुसूदन. (2009) शिक्षा अनुसंधान और सांख्यिकी. नई दिल्ली, ओमेगा पब्लिकेशन, पेज 108–107
- बसु, दुर्गादास. (2009) भारत का संविधान. नई दिल्लीरू लेक्सिसस नेक्सिस पब्लिशिंग. कैनाट पैलेश.
- सिंह, संजय0 (2010) दलित और शिक्षा. नई दिल्लीरू आयोग पब्लिकेशन्स. दरियागंज. पब्लिकेशन्स.
- अग्रवाल,एच.ओ. (2010) हयूमन राईट. इलाहाबादरू सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स.
- शास्त्री,शकरानंद. (2011) डॉ भीमराव आम्बेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएँ. नई दिल्ली, सम्यक प्रकाशन. पेज 21–25
- शास्त्री,शकरानंद. (2011) पूना पैक्ट बनाम गाँधी. नई दिल्ली, सम्यक प्रकाशन, पेज 15
- पाण्डेय,जय.नारायण (2011) भारत का संविधान. इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स. पेज 349–385
- गर्ग, अजय.कुमार. (2012) रिजर्वेशन एंड कंशेसन. नई दिल्ली, नेभी प्रकाशन.
- मिश्रा.आर.एन. (2015) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम